ऑपरेशन सिंदूर जैसी कहानियां, जिसमें हमने पाकिस्तान को उसकी जगह दिखाई और यह कि कैसे हमने आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया, हमारे विद्यार्थियों को विद्यालयों में पढ़ाई जानी चाहिए। —— अनिल विज, मंत्री, हरियाणा

राज्य सरकार प्रदेश की समृद्ध-सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कार्यक्रम में राजस्थान के ऐतिहासिक किलों का उल्लेख करना प्रदेशवासियों के लिए गौरव का विषय है। ——भजनलाल शर्मा, सीएम, राजस्थान

तंबाकू की तरह शराब पर भी लगे चेतावनी लेबल

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली।

एम्स के अनुसंधानकर्ताओं ने तंबाकू संबंधी चेतावनियों के मामले में भारत की सफलता के आधार पर टाले जा सकने वाले कैंसरों की रोकथाम के लिए शराब उत्पादों पर साक्ष्य-आधारित व पुख्ता चेतावनी लेबल लगाने का आह्वान किया है।

कैंसरकारी तत्व : फ्रंटियर्स इन पब्लिक हेल्थ में 24 जुलाई को प्रकाशित भारत में कैंसर की चेतावनी वाले लेबल के माध्यम से व्यवहार से संबंधित हस्तक्षेपों का विस्तार : सिगरेट के पैकेट से शराब की बोतलों तक शीर्षक से एक लेख में चिकित्सकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि तंबाकू की तरह शराब भी कैंसरकारी तत्व है, फिर भी इसके बारे में जागरूकता कम है। एम्स स्थित डा. बीआर आंबेडकर इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर हॉस्पिटल में रेडिएशन आन्कोलॉजी विभाग के कैंसर विशेषज्ञ डा. अभिषेक शंकर, डा. वैभव साहनी और डा. दीपक सैनी के लेख में कहा गया है कि किशोरावस्था शराब समेत मादक पदार्थों के सेवन संबंधी व्यवहार की शुरुआत और तीव्रता के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि होती है।

■ एम्स के शोधकर्ताओं ने की अपील

कैंसर मामलों में वृद्धि : भारत में कैंसर के मामलों में भारी वृद्धि देखी गई है, 2012 से 2022 की अवधि के आंकड़ों से घटनाओं में 36 फीसद की वृद्धि (10.1 लाख से 13.8 लाख) का संकेत मिलता है। ग्लोबोकैन (जीएलओबीओसीएएन) 2022 के आंकड़ों के अनुसार, भारत में करीब 14.1 लाख नए कैंसर के मामले सामने आए, जबकि 5 वर्षों में करीब 32.5 लाख मामले सामने आए और कैंसर से कुल 9,16,827 लोगों की मौत हुई। ग्लोबोकैन 2020 के आंकड़ों के अनुसार, भारत में प्रति एक लाख लोगों पर शराब के सेवन से कैंसर होने की दर और आयु-मानकीकृत दर क्रमशः 4.7 फीसद और 4.8 फीसद है।

भारत की वैदिक परंपरा का प्रतीक हैं डीएवी व हंसराज कॉलेज : शेखावत

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली।

भारत की वैदिक परंपरा की सतत साधना और गरिमा के प्रतीक हंसराज कॉलेज और डीएवी का शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। इस देश को आजादी के बाद से आगे बढ़ाने में सरकारों के साथ ही संस्थाओं एवं संस्थानों की भी बड़ी भूमिका रही है और हंसराज कॉलेज उनमें अग्रणी रहा है। हंसराज कॉलेज की उपलब्धियां और 78 वर्षों की यात्रा गर्व करने योग्य है। दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हंसराज कॉलेज के पंडित मदन मोहन मालवीय सभागार में कॉलेज के 78वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ये विचार व्यक्त किये।

उन्होंने कहा कि भारत के वास्तविक इतिहास के गौरवपूर्ण पृष्ठों से लोगों को अनभिज्ञ रखा गया। साजिश के तहत हमें हमारी जड़ों से, हमारे ज्ञान विज्ञान, हमारी उन्नत संस्कृति और हमारी सांस्कृतिक चेतना से जोड़ने का गंभीर प्रयास नहीं हुआ। अकादमिक क्षेत्र के लोगों का इस दिशा में बड़ा दायित्व है और उन्हें भारत के

■ हंसराज कॉलेज का स्थापना दिवस समारोह संपन्न

उद्भव के लिए काम करना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डीयू के कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि शिक्षा संस्थाओं में देश प्रेम की कमी नहीं है और इन संस्थाओं में इसकी प्रतिष्ठा अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सावरकर, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल आदि महापुरुषों को स्मरण करते हुए कहा कि इनके प्रति इस राष्ट्र के एक-एक नागरिक को कृतज्ञ होना चाहिए। हंसराज कॉलेज जैसी पुण्य स्थली से ही इस दिशा में गंभीर पहल होनी चाहिए। विशिष्ट अतिथि जरूरत को रेखांकित करते हुए कहा कि संवाद और स्वाध्याय आज की सबसे बड़ी जरूरत है।

उन्होंने पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया। इससे पहले कॉलेज की प्राचार्य प्रो. रमा ने हंसराज कॉलेज की परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत की वैदिक परंपरा में गहरी आस्था रखने वाला हंसराज कॉलेज भारतीय ज्ञान परंपरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और विकसित भारत संकल्प से जुड़कर अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। मंच संचालन सुश्री माधवी मोनी एवं कार्यक्रम समन्वयक डॉ. प्रभांशु ओझा ने किया।

वान्या को मिला 'यंगेस्ट योगिनी ऑफ इंडिया' का खिताब

नई दिल्ली (एसएनबी)। नन्हीं योग प्रेरणा वान्या शर्मा जिसने मात्र 7 वर्ष 6 माह की आयु में असाधारण साधना और संतुलन से सबका मन मोह लिया, बल्कि उन्होंने इंटरनेशनल डैजलिंग अवार्ड्स 2025 के मंच पर इतिहास रच दिया। समारोह के दौरान बॉलीवुड अभिनेत्री और योग आइकन शिल्पा शेट्टी के हाथों से उन्हें 'यंगेस्ट योगिनी ऑफ इंडिया' के प्रतिष्ठित खिताब से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जैसे ही वान्या का नाम पुकारा गया पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। शिल्पा शेट्टी ने उन्हें प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिह्न भेंट किया। शिल्पा शेट्टी ने कहा कि वान्या जैसे बच्चों को देखकर विश्वास होता है कि भारत की योग परंपरा सुरक्षित हाथों में है। इस छोटी सी उम्र में जो संतुलन, समर्पण और अनुशासन वान्या ने दिखाया है, वह हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। कार्यक्रम के दौरान वान्या ने एक अत्यंत सुंदर योग प्रदर्शन भी प्रस्तुत किया, जिसमें उनके लचीलेपन, संतुलन और आत्मविश्वास ने सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने तालियों से उनका अभिनंदन किया। वान्या शर्मा एसडी पब्लिक स्कूल, पीतमपुरा की छात्रा हैं और अपनी असाधारण प्रदर्शन से वह स्कूल व देश का नाम रोशन कर रही हैं। समारोह में देश-विदेश से आए योग प्रेमियों, गण्यमान्य अतिथियों और मीडिया प्रतिनिधियों ने वान्या की प्रशंसा कर उन्हें उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 Cr.P.C./84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता–2023 देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **मोहम्मद फारुख उर्फ इमरान, पुत्र: मोहम्मद शाहिद उर्फ इरफान, निवासी: मकान संख्या: ई–16/बी–100, झुग्गी न्यू सीलमपुर, शाहदरा, दिल्ली।** में **FIR No.: 460/2023, U/s: 379 IPC, पुलिस थाना दरिया गंज, दिल्ली** के अधीन दंडनीय अपराध किया है (या संदेह है कि किया है) और उस पर जारी किये गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त **मोहम्मद फारुख उर्फ इमरान** मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त **मोहम्मद फारुख उर्फ इमरान** फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)।

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि **पुलिस थाना दरिया गंज, दिल्ली** के अभियुक्त **मोहम्मद फारुख उर्फ इमरान** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए **दिनांक 16.09.2025** या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार
डॉ. राज कुमार सिंह
जेएमएफसी–05,(केंद्रीय जिला), कमरा नं. – 241,
तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली

DP/9882/CD/2025

प्रदेश भाजपा दफ्तर में नड्डा ने सुनी पीएम के मन की बात

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली प्रदेश भाजपा की ओर से रविवार को सभी 14 संगठनात्मक जिलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व, सांसद विधायक और प्रदेश पदाधिकारियों ने स्थानीय लोगों के साथ सुना। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा, राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े, दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज की उपस्थिति में पूर्व रिटायर्ड भारतीय सेना के अधिकारियों के साथ मन की बात सुनी। स्थानीय विधायक नीरज बसोया के संयोजन में दिल्ली में पहली बार बड़ी संख्या में पूर्व भारतीय सेना अधिकारियों ने भी प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। इस मौके पर जिलाध्यक्ष रवींद्र चौधरी, भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया सह संयोजक संजय मयूख, दिल्ली भाजपा मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर, राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी एवं शहजाद पूनावाला, प्रदेश प्रवक्ता यासिर जिलानी, मन की बात कार्यक्रम के दिल्ली संयोजक राजन तिवारी, विक्रम मित्तल उपस्थित थे।

■ सेना के पूर्व रिटायर्ड अधिकारियों ने मन की बात कार्यक्रम को सुना

केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने दिल्ली भाजपा के संगठन महामंत्री पवन राणा की उपस्थिति में पूर्वी दिल्ली के घड़ौली में मयूर विहार जिला के कार्यकर्ताओं एवं अध्यक्ष विजेन्द्र धामा के साथ प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम को सुना। सांसद मनोज तिवारी ने वजीराबाद गांव में विधायक सूर्य प्रकाश खत्री व स्थानीय लोगों के साथ और सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने गोविंदपुरी में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम सुना। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बादली विधानसभा क्षेत्र में सांसद एवं प्रदेश महामंत्री योगेंद्र चंदोलिया एवं स्थानीय लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। सांसद बांसुरी स्वराज ने मन की बात कार्यक्रम के बाद कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात एक आशावादी कार्यक्रम है जो देश की युवा को प्रेरणा देने के साथ देश में आत्मविश्वास की लौ को दोबारा जगाता है। सांसद एवं प्रदेश महामंत्री कमलजीत सहरावत ने कुंवर सिंह वार्ड में स्थानीय लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम सुना। दिल्ली सरकार के मंत्री डॉ. पंकज सिंह भी उपस्थित थे। सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने आनंद निकेतन में मन की बात कार्यक्रम को सुना। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरंतर प्रयास करते हैं कि मन की बात कार्यक्रम से देश भर की अच्छी व सकारात्मक पहलुओं व घटनाओं को जन जन तक पहुंचाए इसलिए उनका कार्यक्रम अब एक जन आंदोलन बन चुका है।

प्रबंधन कोटे से दाखिले में पूरी पारदर्शिता बरतें संबद्ध संस्थान : आईपीयू

नई दिल्ली (एसएनबी)। आईपी यूनिवर्सिटी ने इस माह के शुरू में आयोजित दाखिला नियामक समिति द्वारा दिए गए निर्देशों के आलोक में संबद्ध संस्थानों को प्रबंधन कोटे से दिए जाने वाले दाखिले में पूरी पारदर्शिता बरतने को कहा है। यूनिवर्सिटी ने कहा है कि संबद्ध संस्थान इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी इच्छुक योग्य उम्मीदवार इस कोटे में आवेदन करने से वंचित न रह जाए। इसके लिए संबद्ध संस्थान अपनी वेबसाइट के होम पेज पर इस सूचना को प्रमुखता से जगह दें। ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन करने वालों की सूची भी उस पर डाले। यदि उनके आवेदन में कोई त्रुटि है तो उसके निवारण का मौका दें। इस कोटे में आवेदन के लिए निर्धारित समयावधि में संबद्ध संस्थान ऑनलाइन दाखिले का पोर्टल चौबीस घंटे खोलकर रखें। यह भी ध्यान रखें कि आवेदकों को ऑफलाइन आवेदन जमा कराने में किसी तरह का व्यवधान न हो।

मेयर ने की मच्छर प्रजनन व मच्छररोधी प्रयासों की समीक्षा

नई दिल्ली (एसएनबी)। मेयर राजा इकबाल सिंह ने मच्छरों के प्रजनन एवं मच्छररोधी प्रयासों की समीक्षा की। दिल्ली नगर निगम लगातार जन जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत आरडब्ल्यूए, मार्केट एसोसिएशन, विद्यालयों, अंतर विभागीय समन्वय बैठकों के माध्यम से मच्छरों के प्रजनन को रोकने का प्रयास कर रहा है।

निगम के जनस्वास्थ्य विभाग ने मच्छरों का प्रजनन पाए जाने पर लगभग छह लाख घरों में मच्छर नाशक दवा का छिड़काव/फॉगिंग की है, जो कि पिछले वर्ष किए गए छिड़काव/फॉगिंग से दुगने से भी ज्यादा है। जनस्वास्थ्य विभाग ने घरों एवं भवनों में मच्छरों के प्रजनन की जांच कर इसे नष्ट किया है, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 60 प्रतिशत से अधिक है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप इस वर्ष डेंगू के मामले पिछले वर्ष के मुकाबले कम आए हैं। इस वर्ष 282 स्थानों पर जैविक नियंत्रण उपाय किए गए हैं, जो कि पिछले वर्ष 206 स्थानों पर किए गए थे। इस वर्ष अब तक डेंगू के 277 मामले आए हैं, जो कि पिछले वर्ष इस समय आए 284 मामलों से कम हैं।

■ जनस्वास्थ्य विभाग ने लगभग छह लाख घरों में किया कीटनाशक का छिड़काव

मेयर राजा इकबाल सिंह ने सभी से आग्रह किया है कि मच्छरजनित बीमारियों के बारे में नागरिकों को अधिक से अधिक जागरूक किया जाए एवं मच्छरों के प्रजनन को स्थल पर ही नष्ट किया जाए। निगम जनता से आग्रह करता है कि बारिश के मौसम में अपने आस पड़ोस में जलजमाव न होने दें एवं निगम के डीबीसी कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। उन्हें अपने घरों, भवनों एवं कार्यालयों की जांच करने दें। अभी हाल ही में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कोताही बरतने पर एक फील्ड कर्मी को बर्खास्त कर दिया गया है।

फ्यूल बैन पर जनता को गुमराह कर रही दिल्ली सरकार : यादव

नई दिल्ली (एसएनबी)। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि पुरानी गाड़ियों पर फ्यूल बैन लागू करने का कदम केवल एक पर्यावरणीय निर्णय नहीं, बल्कि एक गहरी राजनीतिक साजिश है। इसमें भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों की मिलीभगत है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली की जनता ने मोदी जी के नाम पर वोट दिया था, लेकिन आज जब रोजी-रोटी पर तलवार लटकी है, तब प्रधानमंत्री मौन क्यों हैं।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवन्द्र यादव ने कहा कि जब ग्रीन ट्रिब्यूनल का आदेश पहले ही सुप्रीम कोर्ट से वैध ठहराया जा चुका है। ऐसे में दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाना समय बर्बाद करके लोगों को झूठी उम्मीदें देने जैसा है। वास्तव में राहत देनी है तो मोदी सरकार को खुद कोर्ट में हस्तक्षेप करना चाहिए। दिल्ली सरकार का सुप्रीम कोर्ट जाना जनता को भ्रमित करने और दिखावटी राहत देने की चाल है। वास्तविक जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, क्योंकि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का गठन खुद मोदी सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा और 'आप' मिलकर जनता पर फ्यूल बैन थोप रहे हैं और इसका असली लाभ कार कंपनियों और वाहन डीलरों को मिल रहा है। एएनपीआर कैमरों को पेट्रोल पंपों पर लगाने का सुझाव खुद केजरीवाल सरकार ने दिया था।

करोड़ों खर्च करने के बावजूद एमसीडी को नहीं आवारा कुत्तों की सटीक जानकारी

■ तेजपाल शर्मा

नई दिल्ली। एसएनबी

राजधानीवासी किसी भी क्षेत्र में रह रहे हों लेकिन वे आवारा कुत्तों से भलीभांति परिचित हैं कि इनका शहर में कितना आतंक है। इनका आतंक इतना है कि बुजुर्गों, महिलाओं व बच्चों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि करोड़ों रुपए खर्च करने वाले नगर निकायों के पास शहर के आवारा कुत्तों के बारे में कोई सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। दिल्ली नगर निगम के पास इन आवारा कुत्तों के बारे में किसी तरह की कोई सही जानकारी उपलब्ध नहीं है।

राजधानी में आवारा कुत्तों की वजह से बढ़ते हादसे और रेबीज से अन्य शहरों में हुई मौतों के बाद एमसीडी ने आवारा कुत्तों का सर्वे कराने की योजना तैयार की है। निगम के पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पहली बार नगर निकाय पूरे शहर में आवारा कुत्तों का क्षेत्रवार सर्वे कराने की तैयारी कर रहा है। सर्वेक्षण को लेकर विभागीय कार्रवाई को तेज कर दिया है। एमसीडी के शीर्ष अधिकारियों से योजना की स्वीकृति मिलने पर इसे स्टैंडिंग कमेटी में लाकर सर्वे का टेंडर किया जाएगा।

हैरानी की बात तो यह है कि एमसीडी के गठन से लेकर अब तक महज एक बार विभाजित दिल्ली नगर निगम के दौरान 2016 में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने अपने क्षेत्र में कुत्तों का सर्वे कराया था। दक्षिणी निगम में आवारा कुत्तों की संख्या लगभग एक लाख 89 हजार 285 थी। उस समय निगम में क्षेत्रवार कुत्तों की संख्या के मामले में नजफगढ़ जोन

■ एमसीडी गठन के पहली बार होगा राजधानी में आवारा कुत्तों का क्षेत्रवार सर्वे

■ 2016 में विभाजित निगम में अस्तित्व में रहे दक्षिणी निगम ने कराया था आवारा कुत्तों का सर्वे

में 29952 कुत्ते थे। सेंट्रल में 32216, साउथ में 59435 और वेस्ट जोन में सबसे अधिक 67 हजार 682 कुत्तों की संख्या थी। इसमें से 40.3 प्रतिशत नर और 27.8 प्रतिशत मादा आवारा कुत्ते शामिल थे। मौजूदा वक्त में नगर निकायों में कुत्तों की संख्या कई गुना की वृद्धि हो चुकी है। अब कुत्ते लोगों पर हमला करने लगे हैं। बीते दिनों तीन वर्षीय मासूम को अलीपुर क्षेत्र में कुत्तों ने हमला कर नोंच डाला था। किसी राहगीर ने इन आवारा कुत्तों से मासूम को छुड़ा लिया नहीं तो वे इसकी जान लेकर ही दम लेते।

आवारा कुत्तों की सही संख्या मालूम नहीं, फिर भी हर वर्ष होता है बंध्याकरण : आवारा कुत्तों के बंध्याकरण पर भी प्रश्न उठने लगे हैं। एमसीडी हर वर्ष कुत्तों के बंध्याकरण पर करोड़ों रुपए खर्च रही है। इसके बावजूद उनके पास इनकी संख्या की सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिस नगर निकाय को कुत्तों की सटीक जानकारी नहीं है, वो करोड़ों रुपए इन कुत्तों के बंध्याकरण पर आखिर किस आधार पर खर्च किया जा रहा है, यह भी बड़ा प्रश्न है।

कुत्तों के काटने की घटनाओं में हो रहा इजाफा : एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग कहते हैं कि कुत्तों के काटने की घटनाओं निरंतर इजाफा हो रही है। भाजपा नेताओं से उम्मीद ही क्या की जा सकती है, जिन्हें यह भी पता नहीं हो कि निदेशक पशु चिकित्सा सेवा का पद आठ माह से खाली पड़ा है। दिल्ली भगवान भरोसे चल रही है। भाजपा नेता और विभाग में तालमेल का अभाव है।

जुबिलैंट फूडवर्क्स लिमिटेड

JUBILANT FOODWORKS

सीआईएनः L74899UP1995PLC043677
पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट संख्या 1ए, सेक्टर–16ए, नोएडा – 201301, उत्तर प्रदेश
कॉर्पोरेट कार्यालयः 15वीं मंजिल, टावर–ई, स्काईमार्क वन, प्लॉट संख्या एच–10/ए, सेक्टर–98, नोएडा – 201301, उत्तर प्रदेश
फोनः +91-120-6927500; +91-120-6935400
वेबसाइटः www.jubilantfoodworks.com, ईमेलः investor@jublfood.com

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित होने वाली 30वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, रिकॉर्ड तिथि और लाभांश जानकारी

एतद्द्वारा द्वारा सूचित किया जाता है कि जुबिलैंट फूडवर्क्स लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की तीसवीं (30वीं) वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') गुरुवार, 28 अगस्त, 2025 को सुबह 11.00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंगध्अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ('वीसी/ओएवीएम') के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के लागू प्रावधानों और उसके तहत जारी परिपत्रों के अनुपालन में, 30वीं एजीएम ('एजीएम नोटिस') बुलाने की सूचना में निर्धारित व्यवसाय(यों) को पूरा करने के लिए आयोजित की जाएगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत कोरम के प्रयोजन हेतु गिना जाएगा।

एजीएम नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक प्रसारः वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट ('वार्षिक रिपोर्ट') के साथ एजीएम नोटिस केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजा जाएगा जिनकी ईमेल आईडी कंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए')/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ('डीपी') के पास पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 36(1)(बी) के अनुसार, कंपनी उन शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्ट के सटीक पथ सहित वेबलिंक प्रदान करने वाला एक पत्र भी भेजेगी, जिनका ईमेल पता कंपनी/डीपी के पास पंजीकृत नहीं है। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट https://www.jubilantfoodworks.com, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड की www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होंगे।

ई–वोटिंगः सदस्यों को एजीएम नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर रिमोट ई–वोटिंग सुविधा (एजीएम से पहले) और ई–वोटिंग सुविधा (एजीएम में) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाएगी। रिमोट ई–वोटिंग और ई–वोटिंग सुविधा के लिए विस्तृत प्रक्रिया एजीएम नोटिस में प्रदान की जाएगी। एजीएम में ई–वोटिंग की सुविधा उन सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं और रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित/भाग ले सकते हैं लेकिन एजीएम में वोट देने के पात्र नहीं होंगे। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य या जिन सदस्यों की ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, वे ईमेल आईडी के पंजीकरण, उपस्थिति के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और एजीएम में ई–वोटिंग के लिए एजीएम नोटिस में उल्लिखित विस्तृत प्रक्रिया का संदर्भ ले सकते हैं।

लाभांश और रिकॉर्ड तिथिः कंपनी के निदेशक मंडल ने 14 मई, 2025 को हुई अपनी बैठक में वित्त वर्ष 2024–25 के लिए 2 रुपये अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 1.20 रुपये (अर्थात 60%) का लाभांश देने की सिफारिश की, जो वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। सदस्यों के अनुमोदन के बाद, लाभांश का भुगतान/प्रेषण कंपनी के इक्विटी शेयरधारक सदस्यों को रिकॉर्ड तिथि, अर्थात 18 जुलाई, 2025 को इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप में किया जाएगा ताकि लाभांश प्राप्त करने हेतु सदस्यों की पात्रता निर्धारित की जा सके। सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी लाभांश पात्रता का इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट प्राप्त करने के लिए वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने बैंक विवरण अपडेट करें।

लाभांश पर करः आयकर अधिनियम, 1961 ('आईटी अधिनियम') के प्रावधानों के अनुसार, लाभांश आय सदस्यों के हाथों में कर योग्य होती है और कंपनी को सदस्यों को भुगतान किए गए लाभांश से आईटी अधिनियम के तहत निर्धारित दर पर स्रोत पर कर की कटौती करनी होती है। स्रोत पर कर की कटौती सदस्यों की आवासीय स्थिति, श्रेणी और आईटी अधिनियम के तहत प्रदत्त शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी। इसलिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे 31 जुलाई, 2025 तक या उससे पहले https://web.in.mpms.mufg.com/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html लिंक पर आवश्यक कर संबंधी दस्तावेजध्घोषणाएँ अपलोड करें ताकि कंपनी लागू उचित विदहोल्डिंग कर दर निर्धारित कर सके।

जो सदस्य अपनी ईमेल आईडी और बैंक खाता अधिदेश पंजीकृत/अपडेट करना चाहते हैं, वे नीचे दिए गए निर्देशों का पालन कर सकते हैं:

- कंपनी के इक्विटी शेयर डीमैट रूप में रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डीपी से संपर्क करें और डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया का पालन करें।
- कंपनी के इक्विटी शेयर भौतिक रूप में रखने वाले सदस्य कंपनी के आरटीए, एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में लिंक इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) के पास निर्धारित फॉर्म आईएसआर–1 और अन्य प्रासंगिक फॉर्म में विवरण जमा कर सकते हैं। सदस्य कंपनी की वेबसाइट https://www.jubilantfoodworks.com/investors-shareholder-information-investor-forms से निर्धारित फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।

भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः दर्ज करने के लिए विशेष विंडो

सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 दिनांक 2 जुलाई, 2025 के अनुसार, सभी शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि हस्तांतरण विलेखों को पुनः दाखिल करने के लिए एक विशेष विंडो खोली गई है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है–

स्थानांतरण अनुरोध पुनः	7 जुलाई, 2025 से 6 जनवरी, 2026
कौन दर्ज करा सकता है?	ऐसे शेयरधारक जिनके हस्तांतरण विलेख 01 अप्रैल, 2019 की समय सीमा से पहले दर्ज किए गए थे और दस्तावेजों/ प्रक्रिया/या अन्यथा में कमी के कारण अस्वीकार/वापस कर दिए गए/उन पर ध्यान नहीं दिया गया।
स्थानांतरण अनुरोधों को पुनः दर्ज करने की प्रक्रिया	शेयरधारकों को मूल हस्तांतरण दस्तावेज, सही या अनुपलब्ध जानकारी के साथ कंपनी के आरटीए, एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

डाक का पता	नोबल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट संख्या एनएच 2, एलएससी, सी–1 ब्लॉक, सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058
हेल्पलाइन नं.	+91 11 49411000
किसी भी प्रश्न के लिए	https://web.in.mpms.mufg.com/helpdesk/service_Request.html पर सेवा अनुरोध दर्ज करें, या investor@jublfood.com या delhi@in.mpms.mufg.com पर ईमेल भेजें

हस्तांतरण के लिए पुनः जमा किए गए शेयर केवल डीमैट रूप में जारी किए जाएंगे।

जुबिलैंट फूडवर्क्स लिमिटेड के लिए
हस्ता/–
(मोना अग्रवाल)
कंपनी सचिव

दिनांकः 25.07.2025
स्थानः नोएडा

परिशिष्ट IV-A

अचल संपत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के नियम 8(6) और नियम 9(1) के नियमों को पढते हुए सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अधीन अचल संपत्ति की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना।

सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) तथा गॅरेन्टर (ओं) को सूचित किया जाता है कि निम्नवर्णित अचल संपत्ति जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी है, जिस पर सुरक्षित लेनदार अधिकृत अधिकारी **सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) [CIN : L65922DL2005PLC136029] (''सुरक्षित लेनदार द्वारा'')** द्वारा **वास्तविक कब्जा** लिया जा चुका है, **14.08.2025** को **शाम 05.00 बजे से 06.00 बजे** तक **''जहां है'', ''जैसा है'' और ''जो कुछ भी है''**, की वसूली के लिए **ऋण खाता नं. HHLBHD00521495** के लिए **रु. 27,76,751/- (रुपए सत्ताईस लाख छिहत्तर हजार सात सौ इक्यावन मात्र)** के लिए **21.07.2025** तक बकाया मूलधन, बकाया (विलंब शुल्क के समेत) और ब्याज ऋण समझौते तथा अन्य सम्बन्धित ऋण दस्तावेजों के संदर्भ में लागू भावी ब्याज तथा कानूनी व्यय और अन्य खर्चों के साथ **22.07.2025** से प्रभावी जो **सुप्रतिम चंद्रा, काकली चंद्रा और सुशोवन चंद्रा** पर सुरक्षित लेनदार द्वारा बकाया है की वसूली के लिए बेचा जाएगा।

अचल संपत्ति की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य **रु. 16,09,000/- (रुपए सोलह लाख नौ हजार मात्र)** होगा और अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट **(''ईएमडी'') रु. 1,60,900/- (रुपए एक लाख साठ हजार नौ सौ मात्र)** यानि आरक्षित मूल्य के 10% के बराबर होगा।

अचल संपत्ति का वर्णन

पूरी तीसरी मंजिल के सभी भाग और खंड, छत/टेरेस के अधिकारों के साथ, निर्मित प्रॉपर्टी बेअरिंग प्लॉट नंबर 31 (बी–31) के सामने की तरफ है, जिसका क्षेत्रफल 70 वर्ग गज यानी 58.53 वर्ग मीटर है, खसरा नंबर 109/9, गांव पालम की राजस्व संपदा में स्थित है, दिल्ली क्षेत्र, आबादी को कॉलोनी राजापुरी कहा जाता है, नई दिल्ली–110059, नीचे की भूमि, सार्वजनिक सीढ़ी, प्रवेश और पैसेज के आनुपातिक अधिकारों के साथ, जिसमें उक्त संपत्ति के तल मंजिल पर सार्वजनिक हैचबैक कार पार्किंग जगह के साथ भवन के सभी सार्वजनिक अधिकारों के साथ संबंधित अधिकार शामिल हैं;

जो निम्नानुसार सीमाबद्ध है:

पूर्व :	दूसरे का प्लॉट नंबर 30–ए	उत्तर :	20 फीट चौड़ी सड़क
पश्चिम :	दूसरे का प्लॉट नंबर 31–ए	दक्षिण :	भवन का भाग

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यानी www.sammaancapital.com देखें; संपर्क का नंबर : 0124-6910910, +91 7065451024; ई–मेल आईडी : auctionhelpline@sammaancapital.com। बोली लगाने के लिए www.auctionfocus.in पर लॉग ऑन करें।

सही/–
प्राधिकृत अधिकारी
सम्मान कैपिटल लिमिटेड
(पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

दिनांक : 22.07.2025
स्थान : नई दिल्ली

सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड

CUB TRUST AND EXCELLENCE SINCE 1904

ऋण वसूली और प्रबंधन विभाग
प्रशासनिक कार्यालय : नंबर 24–बी, गांधी नगर, कुम्बकोणम - 612 001. ई–मेल आईडी : crmd@cityunionbank.in, फोन : 0435-2432322, फैक्स : 0435-2431746

सरफासी ऐक्ट के तहत पुनर्–निविदा–सह–नीलामी बिक्री सूचना

सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड में बंधक निम्नलिखित सम्पत्ति/यां कर्जदारों/गारंटरों क्रमांक 1) श्री चमन कुमार पुत्र स्व. श्री हरीश चंदर नंबर 51/80, मेन मार्किट, बदरपुर, जैतपुर, साउथ दिल्ली–110044, क्रमांक 2) श्रीमती राजवती पत्नी श्री चमन कुमार नंबर 51/80, मेन मार्किट, बदरपुर, जैतपुर, साउथ दिल्ली–110044, क्रमांक 3) श्री रजत रेक्सवाल पुत्र श्री चमन कुमार नंबर 51/80, मेन मार्किट, बदरपुर, जैतपुर, साउथ दिल्ली–110044 से बैंक की 16–06–2025 तक बकाया राशि रू. 22,81, 749/- (रूपए बाईस लाख इक्यासी हजार सात सौ उन्चास मात्र) दिनांक 17–06–2025 से आगे ब्याज तथा अन्य खर्चों, बैंक के किसी अन्य बकाया की वसूली के लिए बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सरफासी ऐक्ट, 2002 के तहत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) एवं 9 के तहत पुनर्–निविदा–सह–सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेची जाएंगी।

हमारे बैंक में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति
(श्री चमन कुमार पुत्र स्व. श्री हरीश चंदर द्वारा स्वाधिकृत)

बदरपुर, नई दिल्ली में विस्तारित लाल डोरा आबादी के भीतर खसरा नंबर 42/27 में स्थित सम्पत्ति सं. 28–बी, परिमाप 150 वर्ग गज अर्थात 125.42 वर्ग मीटर, जिसमें भू तल छत के अधिकार के साथ शामिल है। चौहद्दी निम्नानुसार : **पूरब** – श्री महेश का मकान नंबर 29–बी, **पश्चिम** – श्री सोनू का मकान नंबर 27–बी, **उत्तर** – गली, **दक्षिण** – श्री महेश का मकान नंबर 28–बी,

सुरक्षित मूल्य : रू .22,00,000/-
(रूपए बाईस लाख मात्र)

पुनर्–नीलामी का विवरण

पुनर्–निविदा–सह–नीलामी बिक्री की तिथि	स्थान
19-08-2025	सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड, लाजपत नगर शाखा, एम–17, भू तल, लाजपत नगर II, साउथ दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली, फोन नंबर : 011–29840034, सेल नंबर : 9310085382

पुनर्–निविदा–सह–नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें :
(1) इच्छुक बोलीदाताओं को नीलामी के लिए स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना चाहिए तथा भाग लेना चाहिए और एक लिखित घोषणा प्रस्तुत करनी चाहिए कि वह स्वयं अपनी ओर से बोली लगा रहा है। (2) इच्छुक बोलीदाता निविदा प्रपत्र **प्रबंधक, सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली लाजपत नगर शाखा, एम–17, भू तल, लाजपत नगर–II, साउथ दिल्ली, नई दिल्ली–110024** से प्राप्त कर सकते हैं। (3) इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोलियां केवल निर्धारित प्रपत्र में **प्राधिकृत अधिकारी, सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड** को संबोधित एक सीलबंद लिफाफे में सुरक्षित मूल्य के 10 प्रतिशत की ईएमडी हेतु "सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड" के पक्ष में आहरित पे ऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट के साथ एतद्द्वारा अधिसूचित निविदा–सह–नीलामी की तिथि को अथवा **पूर्व मध्या. 12.00 बजे** तक प्रस्तुत करनी चाहिए। (4) इच्छुक क्रेता सम्पत्ति के निरीक्षण तथा अन्य विवरण के लिए **फोन नंबर 011–29840034, सेल नंबर 9310085382** पर सम्पर्क कर सकते हैं। (5) सम्पत्तियां "जैसी है जहां है", "जो है जैसी है", तथा "जो भी है वहां है" आधार पर बेची जाएंगी। (6) सीलबंद निविदाएंएतद्द्वारा अधिसूचित निविदा–सह–नीलामी की तिथि को **अप. 01.00 बजे** इच्छुक बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोली जाएंगी। यद्यपि साधारणतः बिक्री बंद निविदाओं द्वारा होगी, तथापि, प्राधिकृत अधिकारी, एकमात्र अपने विवेकानुसार, बंद निविदा प्रक्रिया में प्राप्त निविदा के ज्यादा ऊंची बोली लगाने के इच्छुक बोलीदाताओं के मध्य खुली नीलामी संचालित कर सकते हैं और ऐसी स्थिति में बिक्री सबसे ऊंची बोली लगाने वाले व्यक्ति को की जाएगी। तथापि, बिक्री सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड द्वारा पुष्टि के अधीन होगी। (7) सफल बोलीदाता को बिक्री राशि की **25 प्रतिशत राशि (भुगतान की जा चुकी ईएमडी सहित)** बिक्री पूर्ण होने पर **तत्काल** जमा करनी होगी तथा **शेष 75 प्रतिशत राशि** बिक्री की पुष्टि की तिथि से **15 दिन** के भीतर जमा करनी होगी, जिसमें असफल रहने पर पहले जमा की गई **25 प्रतिशत** राशि जब्त कर ली जाएगी। (8) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा केवल सफल क्रेता के पक्ष में बिक्री प्रमाणपत्र, बिक्री की पूरी राशि निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त होने के पश्चात, जारी किया जाएगा। (9) सफल क्रेता को हस्तांतरण के लिए देय प्रभार/शुल्क, जैसेकि स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क इत्यादि, कानून के तहत लागू अनुसार, वहन करने होंगे। (10) सफल बोलीदाता को कानूनी बकाया राशियों **(कानूनी हाउस टैक्स, बिजली प्रभार और अन्य बकाया)**, टीडीएस, जीएसटी, यदि कोई, का भुगतान करना चाहिए, जो सरकार, सरकारी उपक्रम तथा स्थानीय निकायों को देय हैं। (11) प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए बोलियां स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा बिक्री प्रास्थगित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

स्थान : कुम्बकोणम, तिथि : 24–07–2025 — प्राधिकृत अधिकारी

पंजी. कार्यालय : 149, टी.एस.आर. (बिग) स्ट्रीट, कुम्बकोणम, तंजावुर जिला, तमिलनाडु – 612 001, **सीआईएन** – L65110TN1904PLC001287
फोन नंबर 0435 – 2402322, **फैक्स** : 0435 – 2431746, **वेबसाइट** : www.cityunionbank.com